कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 421/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 06.11.2026

ऑपरेशन त्रिशूल – सामुदायिक आसूचना तंत्र "नज़र आपकी – कार्यवाही हमारी"

□ नशे के सौदागरों एवं अवैध हथियारों के कारोबारियों के विरुद्ध आजमगढ़ पुलिस की निर्णायक पहल, ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विकसित किया गया सामुदायिक आसूचना तंत्र।

□ ड्रग पैडलर, नशे के तस्करों, अवैध असलहों एवं अवैध शराब के कारोबार की सूचना देने के लिए जारी किया गया विशेष मोबाइल/व्हाट्सएप नंबर।

□ सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर एवं पहचान रखी जाएगी पूर्णतः गोपनीय।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार, अवैध हथियारों एवं अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **"ऑपरेशन त्रिशूल – सामुदायिक आसूचना तंत्र"** की शुरुआत की गई है।

➡ □ इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन की सहभागिता से अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध एक प्रभावी सूचना तंत्र विकसित करना है, जिससे समाज में नशे के अवैध कारोबार तथा अवैध असलहों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

➡ □ **क्या-क्या सूचना दें?**

आमजन निम्नलिखित अवैध गतिविधियों के संबंध में पुलिस को सूचना दे सकते हैं—

1. ड्रग पैडलर एवं नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले व्यक्ति।
2. मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध भंडारण।
3. अवैध हथियार एवं असलहों का निर्माण, बिक्री एवं तस्करी।
4. अवैध शराब का निर्माण, बिक्री एवं तस्करी।

कैसे दें सूचना?

उक्त गतिविधियों के संबंध में कोई भी व्यक्ति फोटो, वीडियो, लोकेशन, व्हाट्सएप संदेश अथवा फोन कॉल के माध्यम से निम्न मोबाइल नंबर पर सूचना दे सकता है—

मोबाइल/व्हाट्सएप नंबर: +91 91518 28820

आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्राप्त प्रत्येक सूचना को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए विशेष टीम के माध्यम से त्वरित जांच कर नियमानुसार प्रभावी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

➡ □ सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर एवं अन्य व्यक्तिगत पहचान संबंधी विवरण पूर्णतः गोपनीय रखे जाएंगे।

□ आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि जनपद को नशे एवं अवैध हथियारों के अपराध से मुक्त बनाने में सक्रिय सहयोग करें। आपकी एक छोटी-सी सूचना समाज को नशामुक्त एवं सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

ऑपरेशन त्रिशूल

नज़र आपकी – कार्यवाही हमारी

आज़मगढ़ पुलिस – सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

□ ***अतरौलिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दुकान का शटर तोड़कर चोरी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार।***

□ ***चोरी के शत-प्रतिशत रेडीमेड कपड़े बरामद, 06 बोरियों में मिले जींस, शर्ट, टी-शर्ट, टॉप एवं स्वेटर सहित अन्य सामान।***

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.11.2026 को वादी अमित कुमार पुत्र स्व0 लालबहादुर निवासी ग्राम मडोही, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना अतरौलिया पर तहरीर दी गई कि दिनांक 04.11.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा अतरौलिया रोडवेज के पास स्थित उनकी *S.K.F. फैशन गारमेंट्स* की दुकान का शटर तोड़कर रेडीमेड कपड़े एवं नकदी चोरी कर ली गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 398/26 धारा 331(4), 305(a) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण-

दिनांक 06.11.2026 को उ0नि0 संजय सिंह एवं उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए 04 अभियुक्तों को ग्राम सेल्हरापट्टी अंडरपास से समय करीब 07:35 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए रेडीमेड कपड़े

06 प्लास्टिक की बोरियों में बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. रोशन पुत्र शीतला प्रसाद निवासी कस्बा अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र 22 वर्ष।
2. अंकित पुत्र मदन लाल निवासी कौरीपुरा डीभियाऊ, थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र 19 वर्ष।
3. अनुराग पुत्र राजेश गौड़ निवासी महादेवपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र 19 वर्ष।
4. सचिन पुत्र कर्मराज निषाद निवासी करीमनगर, थाना कटका, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कुल 06 प्लास्टिक की बोरियों में चोरी किए गए रेडीमेड कपड़े बरामद-

- 100 पीस जींस पैंट।
- 71 पीस जींस पैंट।
- 139 पीस शर्ट।
- 70 पीस टी-शर्ट।
- 27 पीस टी-शर्ट।
- 30 पीस टॉप।
- 06 पीस स्वेटर।
- 16 पीस हैंगर।

वादी द्वारा बरामद सामान को शत-प्रतिशत चोरी गया माल बताया गया है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 398/26 धारा 331(4), 305(a), 317(2) बीएनएस, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त रोशन का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 44/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम, थाना अतरौलिया, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 266/2024 धारा 115(2), 351(2), 352, 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट, थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संजय कुमार सिंह, थाना अतरौलिया।
2. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार, थाना अतरौलिया।
3. का0 सौरभ राय, थाना अतरौलिया।
4. का0 अमन तिवारी सोनकर, थाना अतरौलिया।
5. का0 सोनू यादव, थाना अतरौलिया।
6. का0 सुरेन्द्र कुमार यादव, थाना अतरौलिया।

थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

☐ ***युवती को बहला-फुसलाकर भगाने एवं मानव तस्करी में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार।***

☐ ***युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर बिहार में बेचने वाले गिरोह का खुलासा, पत्नी के साथ मिलकर देते थे घटना को अंजाम।***

☐ ***आजमगढ़ पुलिस ने बिहार के पूर्वी चम्पारण में दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।***

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.03.2026 को वादिनी मुकदमा थाना अहरौला द्वारा अपनी पुत्री उम्र करीब 18 वर्षीय के बिना बताए घर से कहीं चले जाने के संबंध में थाना अहरौला पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 70/2026 धारा 87 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा 143/144/111 बीएनएस एवं धारा 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (ITPA), 1956 की वृद्धि की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 04.11.2026 को उ0नि0 मनीष मणि त्रिपाठी मय हमराह द्वारा गुमशुदा युवती की तलाश में जनपद पूर्वी चम्पारण, बिहार में सर्विलांस सेल की सहायता से अभियुक्तों की लोकेशन प्राप्त की गई। दिनांक 05.11.2026 को चनकपुरी महावीर आई अस्पताल, चकिया, थाना चकिया, जनपद पूर्वी चम्पारण, बिहार से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 06.11.2026 को समय करीब 10:18 बजे गिरफ्तारी की आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त अभिषेक राज ने बताया कि वह युवतियों को बहला-फुसलाकर प्रेमजाल में फंसाता था तथा अपनी पत्नी सितारा खातून के माध्यम से उन्हें अपने परिचित गफ्फार मियां एवं उसकी पत्नी बिन्द्या के हाथों बेच देता था। इसके बदले उसे रुपये मिलते थे, जिससे वह अपना परिवार चलाता था। अभियुक्त के अनुसार गफ्फार मियां युवतियों का शारीरिक शोषण करने के बाद उन्हें बिहार के पूर्णिया जनपद के आसपास वेश्यावृत्ति के लिए बेच देता था। प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अभिषेक राज पुत्र अजय शर्मा निवासी ग्राम तलवा गढ़ही, थाना गढ़हरिया बाजार, जनपद पूर्वी चम्पारण, बिहार, उम्र करीब 22 वर्ष।
2. सितारा खातून पुत्री मो0 रफीक पत्नी अभिषेक राज निवासी ग्राम तलवा गढ़ही, थाना गढ़हरिया बाजार, जनपद पूर्वी चम्पारण, बिहार, उम्र करीब 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 70/2026 धारा 87/143/144/111 बीएनएस एवं धारा 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (ITPA), 1956, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मनीष मणि त्रिपाठी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
2. का0 सुधीर प्रजापति, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
3. का0 अमित पाण्डेय, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
4. म0का0 वन्दना सिंह, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

☐ ***थाना गम्भीरपुर क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का सफल अनावरण, बेकरी संचालक गिरफ्तार।***

☐ ***सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आया अभियुक्त का नाम, घटना में प्रयुक्त प्लास्टिक की रस्सी बरामद।***

☐ ***पूछताछ में अभियुक्त द्वारा पुरानी रंजिश एवं व्यक्तिगत विवाद के चलते हत्या करना स्वीकार किया गया।***

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.10.2026 को वादी आजाद पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम गौरी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना गम्भीरपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनका भाई शारू खान, जो एक्सल बेकरी से पावरोटी लेकर गांव-गांव बेचने का कार्य करता था, दिनांक 27.10.2026 को बेकरी संचालक द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। दिनांक 28.10.2026 को उसके भाई का शव गौरी नहर के किनारे मिला, जिसके पैरों में रस्सी बंधी हुई थी। मृतक की साइकिल एवं शर्ट भी बेकरी के काउंटर के पास मिली थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 257/2026 धारा 103(1)/351(3) बीएनएस बनाम अज्ञात बेकरी संचालक पंजीकृत किया गया।

अनावरण का विवरण-

विवेचना के दौरान बेकरी के आसपास से मृतक की टी-शर्ट, साइकिल एवं घटना में प्रयुक्त रस्सी से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए। साथ ही घटनास्थल एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज तथा गोपनीय छानबीन के आधार पर बेकरी संचालक अरशद अहमद पुत्र अबुल कलाम निवासी ग्राम मंगरावा रायपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.11.2026 को थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अरशद अहमद को उसके घर से समय करीब 00:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद प्लास्टिक की रस्सी बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह करीब 12-13 वर्षों से गौरी गांव में बेकरी संचालित कर रहा था। मृतक उसकी बेकरी से पावरोटी लेकर गांवों में बेचता था। अभियुक्त के अनुसार मृतक द्वारा उसकी बेकरी की पावरोटी को खराब एवं बासी बताकर बिक्री प्रभावित किए जाने को लेकर उसका मृतक से विवाद चल रहा था। दिनांक 27.10.2026 को इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद अभियुक्त मृतक को बहाने से अपने साथ नहर के किनारे सुनसान स्थान पर ले गया, जहां अपने पास रखे चाकू से उसका गला रेत दिया तथा उसके दोनों पैरों को बेकरी में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की रस्सी से बांध दिया। इसके बाद

अभियुक्त मौके से वापस अपनी बेकरी चला गया। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में घटना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए गए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अरशद अहमद पुत्र अबुल कलाम निवासी ग्राम मंगरावा रायपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 257/2026 धारा 103(1)/351(3) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त एक अदद प्लास्टिक की रस्सी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. कां0 शिवराम सरोज, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. कां0 कमलेश विश्वकर्मा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
4. म0कां0 रागिनी गौड़, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

☐ ***कोतवाली पुलिस द्वारा करीब 03 लाख रुपये कीमत के अवैध पटाखों एवं विस्फोटक/ज्वलनशील सामग्री लगभग 3.5 क्विंटल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।***

☐ ***अभियुक्त की दुकान से 08 बड़े गत्ते एवं 02 प्लास्टिक की बोरियों में रखे अवैध पटाखे एवं विस्फोटक/ज्वलनशील सामग्री लगभग 3.5 क्विंटल बरामद।***

☐ ***विस्फोटक अधिनियम एवं बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित।***

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अवैध पटाखों एवं विस्फोटक सामग्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.11.2026 को प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नगर पालिका स्थित अभियुक्त की दुकान पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए समय करीब 01:30 बजे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की दुकान से 08 बड़े गत्ते एवं 02 प्लास्टिक की बोरियों में रखे अवैध पटाखे एवं अन्य विस्फोटक/ज्वलनशील सामग्री *लगभग 3.5 क्विंटल* बरामद की गई, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 03 लाख रुपये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आदर्श गर्ग पुत्र श्रीनाथ दास अग्रवाल निवासी मोहल्ला कुर्मीटोला, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

08 बड़े गत्ते एवं 02 प्लास्टिक की बोरियों में अवैध पटाखे एवं अन्य विस्फोटक/ज्वलनशील सामग्री *लगभग 3.5 क्विंटल* (अनुमानित कीमत लगभग 03 लाख रुपये)।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 570/2026 धारा 9बी(1)(ए)(बी) विस्फोटक अधिनियम एवं धारा 287/288 बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 124/2024 धारा 279, 337, 338 भादवि, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।
2.
3. मु0अ0सं0 570/2026 धारा 9बी(1)(ए)(बी) विस्फोटक अधिनियम एवं धारा 287/288 बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय, थाना कोतवाली।
2. उ0नि0 प्रमोद यादव, चौकी प्रभारी पहाड़पुर।
3. उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा, चौकी प्रभारी सिविल लाइन।
4. उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह, चौकी प्रभारी एलवल।
5. का0 सत्येन्द्र प्रजापति।
6. का0 सतेन्द्र पाठक।
7. का0 अनुज पाण्डेय।
8. का0 अजय कुमार यादव।
9. का0 पिन्टू यादव।
10. का0 रवि कुशवाहा।
11. का0 अवधेश सिंह।
12. का0 उत्सव प्रताप सिंह।
13. का0 मनीष सिंह।
14. का0 अखिलेश कुशवाहा।
15. म0का0 प्रियंका सिंह।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़

☐ ***थाना मेहनाजपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।***

☐ ***बारात में हुई मारपीट के दौरान युवक की मृत्यु के मामले में संलिप्त गिरोह के विरुद्ध दर्ज किया गया था गैंगस्टर एक्ट का अभियोग।***

☐ ***जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध की गई थी कार्रवाई।***

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.07.2026 को थाना मेहनाजपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डण्डवल में बारात के दौरान हुई मारपीट की घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना के संबंध में थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0 65/2026 धारा 105, 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त अजीत यादव उर्फ भन्टा सहित अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 04.09.2026 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियुक्तों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने तथा लोक व्यवस्था प्रभावित करने के तथ्यों के आधार पर जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट के क्रम में दिनांक 05.11.2026 को थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0 91/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.11.2026 को थाना मेहनाजपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त शनि चौहान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शनि चौहान पुत्र तेजू चौहान, निवासी ग्राम डण्डवल, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 91/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 91/2026 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 65/2026 धारा 105, 115(2), 3(5) बीएनएस, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 परमहंस मौर्य, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।
2. का0 प्रमोद यादव, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।
3. का0 सत्यम गुप्ता, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।
4. का0 शेखर सिंह, थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

☐ थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, प्रकाश में आए अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

☐ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा साक्ष्यों के आधार पर हत्या की घटना का किया गया खुलासा।

☐ बेकरी संचालक अभियुक्त ने व्यावसायिक रंजिश के चलते युवक की हत्या करना पूछताछ में स्वीकार किया।

☐ घटना में प्रयुक्त प्लास्टिक की रस्सी का बंडल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.10.2026 को थाना गम्भीरपुर क्षेत्रान्तर्गत गौरी नहर के पास एक युवक का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मृतक की गर्दन पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे तथा उसके पैरों में रस्सी बंधी हुई थी। इस संबंध में मृतक के भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 257/2026 धारा 103(1)/351(3) बीएनएस के तहत एक्सल बेकरी के अज्ञात मालिक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना का अनावरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में घटना के सफल अनावरण हेतु गठित पुलिस टीम द्वारा मृतक के कपड़ों, साइकिल, घटनास्थल एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन अवलोकन करते हुए गोपनीय छानबीन एवं साक्ष्य संकलन किया गया। जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एक्सल बेकरी के संचालक अरशद अहमद पुत्र अबुल कलाम निवासी ग्राम मंगरावा रायपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.11.2026 को थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अरशद अहमद को उसके घर से समय करीब 00:05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अरशद अहमद पुत्र अबुल कलाम निवासी ग्राम मंगरावा रायपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह करीब 12-13 वर्षों से गौरी गांव में बेकरी संचालित कर रहा है। मृतक उसकी बेकरी से पावरोटी लेकर क्षेत्र में बेचता था। अभियुक्त के अनुसार मृतक द्वारा उसकी बेकरी की पावरोटी को खराब एवं बासी बताकर प्रचारित किए जाने से उसकी दुकान की बिक्री प्रभावित हो रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था।

अभियुक्त के कथनानुसार, दिनांक 27.10.2026 को विवाद के बाद वह मृतक को बहाने से बेकरी के पास खेतों के रास्ते नहर किनारे सुनसान स्थान पर ले गया, जहां सब्जी काटने वाले चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। इसके बाद मृतक के पैरों को बेकरी में

इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की रस्सी से बांधकर वहां से चला गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त प्लास्टिक की रस्सी का बंडल बरामद किया गया है।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक प्लास्टिक की रस्सी का बंडल।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 257/2026 धारा 103(1)/351(3) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
2. उ0नि0 विपिन द्विवेदी, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
3. उ0नि0 योगेश सरोज, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
4. उ0नि0 अभिषेक सिंह, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
5. उ0नि0 अश्वनी मिश्रा, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
6. का0 शोएब, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
7. का0 शिवराम सरोज, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
8. का0 कमलेश विश्वकर्मा, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
9. म0का0 रागिनी गौड़, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।

थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ

☐ थाना महराजगंज पुलिस द्वारा एपीके (APK) फाइल के माध्यम से साइबर फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के वांछित सरगना को पटना (बिहार) से किया गया गिरफ्तार।

☐ सोशल मीडिया पर फ्री मूवी/वेब सीरीज डाउनलोड करने का प्रलोभन देकर एपीके फाइल के माध्यम से लोगों के मोबाइल हैक कर बैंक खातों से करते थे ठगी।

☐ गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक लैपटॉप, 02 एंड्रायड मोबाइल, 03 कीपैड मोबाइल, 03 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 02 एटीएम कार्ड व 01 पासबुक बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.07.2026 को उ0नि0 राहुल कुमार द्वारा थाना महराजगंज पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी 3बी, अनीमा कॉम्प्लेक्स, मछली गली, न्यू जक्कनपुर, मीठापुर, पटना, बिहार अपने साथियों के साथ मिलकर फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर त्योहारों के अवसर पर फ्री मूवी/वेब सीरीज डाउनलोड करने का प्रलोभन देकर एक टेम्पलेट के साथ एपीके (APK) फाइल अपलोड करता था। उक्त फाइल पर क्लिक करते ही लोगों के मोबाइल फोन हैक कर उनके बैंक खातों से धनराशि म्यूल खातों में स्थानांतरित कर ली जाती थी। इसके अतिरिक्त मोबाइल के माध्यम से कूटरचित आधार कार्ड तैयार कर जनसेवा केंद्रों पर उनका प्रयोग करते हुए ठगी की धनराशि नकद निकाली जाती थी तथा आपस में बांट ली जाती थी।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0 179/2026 धारा 317(2), 318(4), 336(3), 340(2) बीएनएस एवं 66(सी) आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना निरीक्षक अशोक कुमार तिवारी, कार्यालय क्षेत्राधिकारी सगड़ी द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी एवं घटना का अनावरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष जयप्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.11.2026 को बिहार के पटना में वांछित अभियुक्त आशीष कुमार की तलाश की गई।

तलाश के दौरान अभियुक्त आशीष कुमार उपरोक्त को पटना बिहार में मकान मालिक भोला सेठ के घर से दिनांक 05.11.2026 को समय करीब 20:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से साइबर अपराध में प्रयुक्त विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आशीष कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी 3बी, अनीमा कॉम्प्लेक्स, मछली गली, न्यू जक्कनपुर, मीठापुर, पटना, बिहार। मूल निवासी निफ्ट के सामने, मुख्य मार्ग, पटेल नगर, हटिया, जनपद रांची, झारखंड।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद लैपटॉप HP कंपनी, स्लेटी रंग, मय चार्जर।
2. दो अदद एंड्रायड मोबाइल फोन (रेडमी कंपनी)।
3. तीन अदद कीपैड मोबाइल फोन (जैवेल कंपनी)।
4. तीन अदद आधार कार्ड।
5. एक अदद पैन कार्ड।
6. दो अदद एटीएम कार्ड।
7. एक अदद बैंक पासबुक।

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 179/2026 धारा 317(2), 318(4), 336(3), 340(2) बीएनएस एवं 66(सी) आईटी एक्ट, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष जयप्रकाश, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़

2. निरीक्षक अशोक कुमार तिवारी, कार्यालय क्षेत्राधिकारी सगड़ी, आजमगढ़।

3.उ0नि0 राहुल कुमार, थाना महराजगंज, आजमगढ़।

4.का0 सत्येन्द्र यादव, साइबर सेल, जनपद आजमगढ़।

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

☐ थाना देवगांव पुलिस द्वारा नहाते समय पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बनाने एवं सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।
☐ शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ संबंध बनाने एवं बिना सहमति निजी वीडियो बनाने का है आरोप।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 29.09.2026 को एक पीड़िता द्वारा थाना देवगांव पर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए गए तथा बिना सहमति के नहाते समय उसका निजी वीडियो बना लिया गया। उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 344/2026 धारा 69, 77, 351(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना निरीक्षक योगेन्द्र सिंह यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.11.2026 को निरीक्षक योगेन्द्र सिंह यादव मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सनी पुत्र स्व0 सुनील कुमार निवासी ग्राम सलेमपुर बघाई, थाना बहरियाबाद, जनपद गाजीपुर को जिवली तिराहे से समय करीब 11:45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सनी पुत्र स्व0 सुनील कुमार निवासी ग्राम सलेमपुर बघाई, थाना बहरियाबाद, जनपद गाजीपुर। उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 344/2026 धारा 69, 77, 351(2) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1. निरीक्षक योगेन्द्र सिंह यादव, थाना देवगांव, आजमगढ़।
2. उ0नि0 बृजेश यादव, थाना देवगांव, आजमगढ़।
3. का0 रमाकान्त यादव, थाना देवगांव, आजमगढ़।

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

☐ थाना देवगांव पुलिस द्वारा लोन दिलाने के नाम पर चोरी एवं धनराशि दोगुना करने का प्रलोभन देकर महिलाओं से ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 9,200 रुपये बरामद।
☐ महिलाओं को 5,000 रुपये के बदले 50,000 रुपये देने का लालच देकर बायोमैट्रिक के माध्यम से बैंक खातों से धनराशि निकालने का है आरोप।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 16.10.2026 को आवेदिका नीलम पत्नी संतोष निवासी ग्राम चेवार पश्चिम, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त अंचल गोड़ पुत्र सुरेन्द्र गोड़ निवासी ग्राम शेखनपुर, थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर लोन दिलाने की बात

कहकर उनके घर आया तथा आधार कार्ड लेने के बहाने कमरे में रखे पर्स से 15,000 रुपये चोरी कर लिया। इस संबंध में थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 386/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
इसी क्रम में आवेदिका साधना पत्नी रविन्द्र निवासी चेवार पश्चिम एवं ऊषा देवी पत्नी बाबूराम निवासी लहुँआ कला, थाना देवगांव द्वारा भी अभियुक्त के विरुद्ध तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा महिलाओं को 5,000 रुपये के बदले 50,000 रुपये देने का प्रलोभन देकर आधार कार्ड प्राप्त कर बायोमैट्रिक अंगूठा लगवाया गया तथा उनके बैंक खातों से ऑनलाइन धनराशि निकालकर ठगी की गई। उक्त दोनों प्रकरणों में थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 387/2026 एवं 388/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66C आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किए गए।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 03.11.2026 को उ0नि0 पंकज कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेवार फोरलेन के पास स्थित ढाबे से अभियुक्त अंचल गोड़ पुत्र सुरेन्द्र गोड़ निवासी ग्राम शेखनपुर, थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर को समय करीब 22:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 9,200 रुपये बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अंचल गोड़ पुत्र सुरेन्द्र गोड़ निवासी ग्राम शेखनपुर, थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर। उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- चोरी के 9,200 रुपये बरामद।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 386/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 387/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66C आईटी एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 388/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66C आईटी एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 62/2019 धारा 411/420 भादवि व 66C आईटी एक्ट, थाना नोनहरा, जनपद गाजीपुर।
2. मु0अ0सं0 386/2026, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 387/2026, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 388/2026, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 पंकज कुमार सिंह, थाना देवगांव, आजमगढ़।
2. हे0का0 संजय दूबे, थाना देवगांव, आजमगढ़।
3. का0 विपिन यादव, थाना देवगांव, आजमगढ़।
4. रि0का0 मोहित मिश्रा, थाना देवगांव, आजमगढ़।
5. रि0का0 अमित तिवारी, थाना देवगांव, आजमगढ़।
6. का0 सतिभान सिंह, थाना देवगांव, आजमगढ़।

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

☐ थाना बरदह पुलिस द्वारा अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर चोरी-छिपे बिक्री करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।
☐ दो अलग-अलग दुकानों पर छापेमारी कर कुल लगभग 380 किग्रा अवैध पटाखे बरामद।
☐ बरामद पटाखों की अनुमानित कीमत लगभग ₹3.40 लाख।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में दिनांक 05.11.2026 को दीपावली त्योहार के दृष्टिगत थाना बरदह पुलिस द्वारा ठेकमा बाजार में अलग-अलग स्थानों पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अजय एण्ड राम जनरल स्टोर एवं आशीष पुस्तक भण्डार पर छापेमारी की गई।

पहली कार्रवाई में अजय एण्ड राम जनरल स्टोर के संचालक अजय कुमार वरनवाल उर्फ रिंकू पुत्र स्व0 चन्द्रबली निवासी ग्राम दीक्षितपुर उर्फ संकल्पपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को दुकान में अवैध रूप से भंडारित 280 किग्रा पटाखों (अनुमानित कीमत लगभग ₹2.30 लाख) के साथ दिनांक 05.11.2026 को समय करीब 22:10 बजे गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना बरदह पर मु0अ0सं0 347/2026 धारा 288 बीएनएस एवं 5/9बी विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में दूसरी कार्रवाई के दौरान आशीष पुस्तक भण्डार, ठेकमा के संचालक अभिषेक गुप्ता पुत्र ज्ञान चन्द गुप्ता निवासी ठेकमा बाजार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को दुकान में अवैध रूप से भंडारित 100 किग्रा पटाखों (अनुमानित कीमत लगभग ₹1.10 लाख) के साथ दिनांक 05.11.2026 को समय करीब 23:10 बजे गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना बरदह पर मु0अ0सं0 348/2026 धारा 288 बीएनएस एवं 5/9बी विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर रोक लगाने तथा अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार के नेतृत्व में थाना बरदह पुलिस द्वारा दोनों दुकानों पर अलग-अलग छापेमारी की गई। इस दौरान दोनों अभियुक्तों को कुल लगभग 380 किग्रा अवैध पटाखों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹3.40 लाख है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अजय कुमार वरनवाल उर्फ रिंकू पुत्र स्व0 चन्द्रबली निवासी ग्राम दीक्षितपुर उर्फ संकल्पपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।
2. अभिषेक गुप्ता पुत्र ज्ञान चन्द गुप्ता निवासी ठेकमा बाजार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कुल 380 किग्रा अवैध रूप से भंडारित पटाखे, अनुमानित कीमत लगभग ₹3.40 लाख।

1. अजय कुमार वरनवाल उर्फ रिंकू के कब्जे से 280 किग्रा पटाखे, अनुमानित कीमत लगभग ₹2.30 लाख।
2. अभिषेक गुप्ता के कब्जे से 100 किग्रा पटाखे, अनुमानित कीमत लगभग ₹1.10 लाख।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 347/2026 धारा 288 बीएनएस एवं 5/9बी विस्फोटक अधिनियम 1884, बनाम अजय कुमार वरनवाल उर्फ रिंकू।
2. मु0अ0सं0 348/2026 धारा 288 बीएनएस एवं 5/9बी विस्फोटक अधिनियम 1884, बनाम अभिषेक गुप्ता।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, थाना बरदह।
2. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, थाना बरदह।
3. उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव, थाना बरदह।
4. हे0का0 कमलेश सैनी, थाना बरदह।
5. हे0का0 असर्फीलाल, थाना बरदह।
6. हे0का0 पवन कुमार यादव, थाना बरदह।
7. का0 सुनील सरोज, थाना बरदह।
8. का0 वृजभान यादव, थाना बरदह।
9. का0 सोनू यादव, थाना बरदह।
10. का0 पंकज यादव, थाना बरदह।
11. का0 शुभम मौर्या, थाना बरदह।
12. का0 संदीप चौहान, थाना बरदह।
13. का0 विनोद यादव, थाना बरदह।
14. का0 अभिषेक गुप्ता, थाना बरदह।
15. रि0आ0 शुभम कुमार दुबे, थाना बरदह।
16. रि0म0आ0 सुप्रिया शर्मा, थाना बरदह।

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

☐ थाना देवगांव पुलिस द्वारा लोन दिलाने के नाम पर चोरी एवं धनराशि दोगुना करने का प्रलोभन देकर महिलाओं से ठगी करने वाला अंतर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 9,200 रुपये बरामद।

☐ महिलाओं को 5,000 रुपये के बदले 50,000 रुपये देने का लालच देकर बायोमैट्रिक के माध्यम से बैंक खातों से धनराशि निकालने का है आरोप।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.10.2026 को थाना देवगांव पर एक वादिनी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त अंचल गोड़ पुत्र सुरेन्द्र गोड़ निवासी ग्राम शेखनपुर, थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर लोन दिलाने की बात कहकर उनके घर आया तथा आधार कार्ड लेने के बहाने कमरे में रखे पर्स से 15,000 रुपये चोरी कर लिया। इस संबंध में थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 386/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में दो अन्य महिलाओं द्वारा भी अभियुक्त के विरुद्ध तहरीर दी गई कि अभियुक्त गांव में आकर महिलाओं को 5,000 रुपये के बदले 50,000 रुपये देने का प्रलोभन देकर आधार कार्ड प्राप्त करता था तथा बायोमैट्रिक अंगूठा लगवाकर उनके बैंक खातों से ऑनलाइन धनराशि निकालकर ठगी करता था। उक्त दोनों प्रकरणों में थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 387/2026 एवं 388/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66C आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किए गए।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 03.11.2026 को उ0नि0 पंकज कुमार सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा चेवार फोरलेन के पास स्थित ढाबे से अभियुक्त अंचल गोड़ पुत्र सुरेन्द्र गोड़ निवासी ग्राम शेखनपुर, थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर को समय करीब 22:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 9,200 रुपये बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अंचल गोड़ पुत्र सुरेन्द्र गोड़ निवासी ग्राम शेखनपुर, थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर। उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- चोरी के 9,200 रुपये बरामद।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 386/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 387/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66C आईटी एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 388/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66C आईटी एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 62/2019 धारा 411/420 भादवि व 66C आईटी एक्ट, थाना नोनहरा, जनपद गाजीपुर।
2. मु0अ0सं0 386/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 387/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66C आईटी एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 388/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66C आईटी एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 पंकज कुमार सिंह, थाना देवगांव, आजमगढ़।
2. हे0का0 संजय दूबे, थाना देवगांव, आजमगढ़।
3. का0 विपिन यादव, थाना देवगांव, आजमगढ़।
4. रि0का0 मोहित मिश्रा, थाना देवगांव, आजमगढ़।
5. रि0का0 अमित तिवारी, थाना देवगांव, आजमगढ़।
6. का0 सतिभान सिंह, थाना देवगांव, आजमगढ़।

थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़

☐ थाना महराजगंज पुलिस द्वारा अवैध रूप से पटाखों का निर्माण एवं बिक्री करने के मामले में बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध पटाखे एवं बारूद बरामद।

☐ कुल्हड़ अनार पटाखा 180 अदद, अर्धनिर्मित कुल्हड़ अनार पटाखा 210 अदद, 20 किलोग्राम बारूद एवं 12 अदद फुलझड़ी बरामद।

☐ फरार अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर लगातार प्रयास जारी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.11.2026 को थाना महराजगंज पुलिस द्वारा अवैध पटाखों के निर्माण एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महरूपुर में चेकिंग एवं कार्रवाई के दौरान दो बोरियों में रखी विस्फोटक सामग्री एवं निर्मित पटाखे बरामद किए गए। बरामद सामग्री में 180 अदद कुल्हड़ अनार पटाखा, 210 अदद अर्धनिर्मित कुल्हड़ अनार पटाखा, 20 किलोग्राम बारूद एवं 12 अदद फुलझड़ी शामिल हैं। बरामद विस्फोटक सामग्री एवं पटाखों की अनुमानित कीमत लगभग 52,000 रुपये है।

बरामदगी के आधार पर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0 269/2026 धारा 5/9B विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी का विवरण-

दिनांक 05.11.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के निर्देशन तथा थानाध्यक्ष जयप्रकाश के नेतृत्व में उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय हमराह पुलिस बल द्वारा महरूपुर में कार्रवाई करते हुए दो बोरियों में रखी अवैध विस्फोटक सामग्री एवं पटाखों को समय करीब 21:30 बजे पुलिस कब्जे में लिया गया। इस दौरान संबंधित अभियुक्ता रेनू देवी पत्नी स्व0 राजकुमार निवासी महरूपुर, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ मौके से फरार हो गई।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 269/2026 धारा 5/9B विस्फोटक अधिनियम 1884, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

फरार अभियुक्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई-

फरार अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

बरामदगी का विवरण-

1. कुल्हड़ अनार पटाखा – 180 अदद।
2. अर्धनिर्मित कुल्हड़ अनार पटाखा – 210 अदद।
3. बारूद – 20 किलोग्राम।
4. फुलझड़ी – 12 अदद।
5. कुल दो बोरी अवैध पटाखे एवं विस्फोटक सामग्री।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष जयप्रकाश, उ0नि0 शैलेश कुमार यादव, थाना महराजगंज, हे0का0 दीपक सिंह, थाना महराजगंज, का0 सत्येन्द्र प्रजापति, थाना महराजगंज, का0 विमल तिवारी, थाना महराजगंज, म0का0 खुशी गुप्ता, थाना महराजगंज।

यातायात पुलिस, जनपद आजमगढ़

☐ ***यातायात माह नवम्बर-2026 के अंतर्गत गाँधी गुरुकुल इंटर कॉलेज, भँवरनाथ में छात्र-छात्राओं एवं प्रमुख तिराहों-चौराहों पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक।***

☐ छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर यातायात नियमों के पालन की दिलाई गई शपथ, वाहन चालकों को पम्पलेट एवं हैंडबिल वितरित कर किया गया जागरूक।

कार्यवाही का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के मार्गदर्शन में दिनांक 06.11.2026 को यातायात माह नवम्बर-2026 के अंतर्गत जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजनमानस को जागरूक करने हेतु व्यापक अभियान चलाया गया।

इसी क्रम में यातायात पुलिस टीम द्वारा गाँधी गुरुकुल इंटर कॉलेज, भँवरनाथ, आजमगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा हेलमेट एवं सीटबेल्ट का प्रयोग करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, तीन सवारी न बैठाने एवं यातायात संकेतों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही विद्यार्थियों से स्वयं यातायात नियमों का पालन करने एवं अपने परिजनों तथा परिचितों को भी जागरूक करने की अपील की गई।

इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस द्वारा जनपद के प्रमुख तिराहों एवं चौराहों पर वाहन चालकों एवं राहगीरों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए पम्पलेट एवं हैंडबिल वितरित किए गए तथा सड़क पर सुरक्षित एवं अनुशासित ढंग से वाहन चलाने की अपील की गई।

आजमगढ़ यातायात पुलिस की आमजनमानस से अपील है कि यातायात नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं एवं दूसरों के जीवन की सुरक्षा के लिए करें। यातायात माह के अंतर्गत जागरूकता अभियान निरंतर जारी रहेगा।